

9/5/18

वादीगण की जोर से सरलक माता वि कोर्ट एक प्रा
पत्र जारी करके पत्र होने पर पत्रावली नियत
दिनांक से पूर्व बलब होकर पत्रावली प्रार्थना पत्र
में संकेत किया कि विवादित शक्ति के लक्ष्य
में कोई विवाद नहीं रहा क्योंकि लोक कदालत की
भावना के अतिरिक्त कोई वाद नहीं चलाना चाहती है
वादी। १२ कि कि को सरलक माता रेखा उप० श्रीमति
रेखा देवी के हस्ताक्षर कक्षों पर एवं पहचान

22/5/18

I.d. by
Kam
9/5/18

श्री जंगाराम गुजरे एडवो द्वारा की गई।
प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का इकजोर
किया गया। लोक कदालत की भावना को देखते
हुए वाद वादीगण विशा कट खारिज किया जाता
है। पत्रावली के लक्ष्य सुभार होकर नभक लक्ष्य
होकर शक्ति दफ्त हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना